

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 23060187188
 जनपद : इलाहाबाद

ग्राम का नाम : रहीमा बाद
 परगना सदर
 भाग : 1

फसली वर्ष : 1422-1427

तहसील : SADAR

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगान वाले अधिकारी का पद	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संग्रह उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------	---	--	---	---	--	---------

1	-----2-----			3	4	5	6	7-12	13
---	-------------	--	--	---	---	---	---	------	----

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

00013 उत्थानसेन्टरफारसस्टेविलडेवलप मेट एण्ड पावर्टी एलिवीएशन 18ए आर्कलैडरोड द्वारा सदस्य
 राकेशकुमार शुक्ला

1409फ. 89मि. 0.1230

1409फ. 91 1.6870

कुल गाटे : 2 कुल क्षेत्र : 1.8100

107.85

6201-16-5-2016



उद्धरण खतोनी

क्रमांक : 23060187015
 जनपद : इलाहाबाद
 ग्राम का नाम : शाहाउर्फपीपलगांव
 फसली वर्ष : 1418-1423

परगना सहर
 भाग : 1
 तहसील : SADAR

खता क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देव मालगुजारी सहित और आसा देने या लगान वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी	
1				3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

00653 उत्थानसेट्टलफारसस्टेनेबिल

डेवलपमेंटएण्डपावटीएलिवियेशन- सचिवकौशलकुमारपुत्र स्व. शम्भुनाथ 18, ए अकबलैण्डरो:

1375फ. -


0.0460

1420फ0 म्याथारथ उपजलाधिकारी सरर बाद संख्या 30

धारा 143 ज0वि0अधि0 उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावटी एलिवियेशन इला0 द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य ता0के0 08-5-2012 को आदेश हुआ कि मौजा शाहा उर्फ पीपल गाँव पर0 व तह0 सदर जिला इला0 की खतोनी सन् 1418-1423फ0के0 खाता संख्या 89के आराजी संख्या 1 रकबा 0.046हे0 व खाता संख्या 89के आराजी संख्या 5रकबा 0.1350हे0 व 6रकबा 0.2790हे0 व 2रकबा 0.414हे0 तथा ग्राम रहीमाबाद पर0 व तह0 सदर इला0 की खतोनी सन् 1416-1421फ0 के खाता संख्या 6के आराजी संख्या 89रकबा 0.4630हे0 व 91रकबा 1.6870हे0 व खाता संख्या 7 के गाटा संख्या 93रकबा 0.399हे0 व खाता संख्या 40 के आराजी संख्या 94रकबा 0.680हे0 जो उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावटी एलिवियेशन 18ए अकबलैण्ड रोड इला0 के मुकत के तहत हुए प्रख्यापित किया जाता है। 01-10-12

कुल गाटे : 1 कुल क्षे 0.0460

0.80



क्रमांक 0039 दिनांक-08/5/12
न्यायालय उम जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद

वाक संख्या 30 तम 2012 अर्थात् धारा 143 उज्ज्वल राक्षस अधिनियम
ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव एवं रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवेलपमेंट
एण्ड प्रावर्टी एलिवेशन इलाहाबाद प्रति उज्ज्वल राज्य व अन्य
द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

निर्णय

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवेलपमेंट एण्ड प्रावर्टी एलिवेशन इलाहा-
बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० रामू नाथ तिवारी नि०
102 बेनीम परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ने ग्राम शाहा उर्फ पीपल
गाँव परगना व तहसील सदर की अटॉस 1 रकवा 0-04600, अटॉस 5 रकवा
1-13500, अटॉस 6 रकवा 0-27900 व अटॉस 2 रकवा 0-41400 व मौजा
रहीमाबाद परगना व तहसील सदर की अटॉस 89-रकवा 0-12300, अटॉस 91
रकवा 1-68700, अटॉस 93 रकवा 0-39900 व अटॉस 94 रकवा 0-68000
की आबादी/अकृषिक घोषित करने हेतु यह वाद वायर किया है।


इस पर तहसील से जांचया प्राप्त की गई। तहसील के नायब तहसीलदार
दक्षिणी सदर की आख्या दिनांक 01-5-2012 जो तहसील शाहा उर्फ पीपलगाँव
दिनांक 02-5-2012 को संस्तुति सहित अस्तारित है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अन्वेषण किया। ग्राम शाहा
उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर की उदरणा खतानी 1418-1423 के खता
संख्या 653 के अटॉस 1 रकवा 0-04600 व इसी ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना
अटॉस 5 रकवा 0-13500, अटॉस 6 रकवा 0-27900 व अटॉस 2 रकवा 0-
41400 व ग्राम रहीमाबाद के खता संख्या 6 के अटॉस 89 रकवा 0-46300
अटॉस 91 रकवा 1-68700 तथा खता संख्या 7 के अटॉस 93 रकवा 0-39900
व खता संख्या 40 के अटॉस 94 रकवा 0-68000 पर आवेदक का नाम धर्तार
सम्पत्तीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रथम
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन
नहीं है।


आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना
व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतानी 1418-1423 के खता संख्या 653
के अटॉस 1 रकवा 0-04600 खता संख्या 89 के अटॉस 5 रकवा 0-13500, अटॉस 6
रकवा 0-27900 व अटॉस 2 रकवा 0-41400 तथा ग्राम रहीमाबाद परगना
व तहसील सदर इलाहाबाद की खतानी 1416-1421 के खता संख्या 6 के अटॉस 89
रकवा 0-46300 अटॉस 91 रकवा 1-68700 तथा खता संख्या 7 के अटॉस 93 रकवा 0-39900
व खता संख्या 40 के अटॉस 94 रकवा 0-68000 पर आवेदक का नाम धर्तार
सम्पत्तीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रथम
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन
नहीं है।

Secretary
Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001



1 935/15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
 14 OCT 2014
 इलाहाबाद

किरायेदारी अनुबन्ध पत्र

CG 736045

पोस्ट, अ.प्र. वि. प्र. सं. १८८८
 उत्तर प्रदेश सरकार

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी रिली विएशन, 18ए

इलाहाबाद

आकैण्ड रोड इलाहाबाद द्वारा सदस्य राकेश कुंमार शुक्ला पुत्र श्री बबबन प्रसाद शुक्ला निवासी 20/20 ईडब्लू एस0कालोनी प्रीतम नगर इलाहाबाद-प्रथमपक्ष व

शाम्भू नाथ इन्स्टीट्यूट आफ ला इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शाम्भू नाथ निवासी 102जी/3 बेनीगंज शहर इलाहाबाद-द्वितीय किरायेदार

जो कि प्रथम पक्ष आराजी संख्या 9। रक्का 0.2300 हेवाकैमोजा रही माबा परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद में स्थित भवन के तनहा मालिक स्वामी स्वामी लैण्ड लार्ड काबिज व दखील है। जिसमे 20 कमरा, लौटिन बाफूम निर्मित है। तथा उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष अपने विधि महाविद्यालय शाम्भू नाथ इन्स्टीट्यूट आफ ला खोलने एवं उसके सुचारु रूप से संवाहन के लिए मु0 10। रूपया प्रतिमाह अर्थात

राजेश शुक्ला

K. K. Kulkarni

2445 29/11/15 100
क्रमांक तिथि मूल्य प्रायोजन

टाम्प क्रेता का नाम 30/11/15 देवेंद्र शर्मा (रजिस्ट्रार के डेप्युटी एवं पत्नी)

नेवासी C/A श्री अशोक शर्मा

टाम्प विक्रेता शिव मोहन अग्रहरी सिविल कोर्ट, इलाहाबाद
ला0 नं0 508 अवधि 31 मार्च तक हस्ताक्षर

8,000.00 87,264.00 3000 (29 मई) 100.00 800
प्रतिफल मालियत ओसत वार्षिक क्रिया फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री उत्थान सेन्टर, सस्टे0 डेव0एण्ड प्रा0 द्वारा राकेश कुमार शुक्ला
पुत्र श्री बबन प्रसाद शुक्ला
व्यवसाय



निवासी स्थायी 20/20 प्रीतम नगर सदर इला0
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/1/2015 समय 11:29AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(प्रवीन्द्र सिंह सचान)
उपनिबन्धक सदर
(द्वितीय) इलाहाबाद

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानसार उक्त

श्री उत्थान सेन्टर सस्टे0 डेव0एण्ड प्रा0 द्वारा
राकेश कुमार शुक्ला
पुत्र श्री बबन प्रसाद शुक्ला
पेशा
निवासी 20/20 प्रीतम नगर सदर इला0



श्री शम्भू नाथ इन्स्टी0 आफ ला द्वारा कौशल कुमार
तिवारी
पुत्र श्री स्व0 शम्भूनाथ
पेशा
निवासी 102जी/3 बेनीगंज सदर इला0



ने निष्पादन स्वीकार किया।
निवासी पञ्चान श्री सुरेश नारायण त्रिपाठी एड0
पुत्र श्री स्व0 लालसो प्रसाद त्रिपाठी एड0
पेशा




निवासी सिविल कोर्ट इला0
पुत्र श्री सुनील कुमार मिश्रा एड0
पेशा
निवासी राजरूपपुर सदर इला0
ने की।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(प्रवीन्द्र सिंह सचान)
उपनिबन्धक सदर
(द्वितीय) इलाहाबाद

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2-

CG 736046

14 OCT 2014

प्रदेश

1212/रूपया प्रति वर्ष किराये की दर पर लेने हेतु प्रथमपक्ष से आग्रह किया,

जिसको प्रथमपक्षने स्वीकार कर लिया। अतः दोनों पक्ष ब्रुक्सोच सम्झकर

बिना किसी डर व दबाव नाजायज के स्वस्थचित्त होकर यह किरायेदा

लीज अनुबन्ध पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन तहरीर करते है:-

1- यह कि द्वितीयपक्ष की लीज दिनांक 30-1-2015 ईसे प्रारम्भ होगी।

2- यह कि द्वितीयपक्ष की लीज दिनांक 29-1-2045 के लिए होगी।

3- यह कि द्वितीय पक्ष लीज सम्पत्ति का इस्तेमाल मात्र अपने विधि महाविद्यालय
शाम्भू नाथ इन्स्टीट्यूट आफ लॉ इलाहाबाद के लिए ही करेगा, अन्य किसी प्रकार
के कार्यों में नहीं करेगा।

4- यह कि द्वितीय पक्ष नियत किराया हर माह/प्रतिवर्ष अग्रिम तौर पर प्रथम पक्ष को
अदा करता रहेगा।

5- यह कि द्वितीयपक्ष की लीज अधि समाप्त होने के बाद द्वितीयपक्ष की लीज स्वत

रि. 2/2/2014

K. K. K.



क्रमांक (2015) दिनांक 29/1/15 100
 प्रयोजन
 स्वामी कता का नाम Seetha Meeta Par (पति के नाम के अनुसार पत्नी के नाम के अनुसार)
 नैकाली
 स्वामी विवेक शि 10/11/15 मंगलेश्वर
 द्वारा लिखा गया
 अग्रहरी विधि न्यायालय कोर्ट, इलाहाबाद
 जात नं० 1008 अवधि 31 मार्च 2015

पट्टा दाता

Registration No.: 935 Year: 2015 Book No.: 1

0101 सुथान सेन्टर सस्टेड डेव0एण्ड प्रा0 द्वारा राकेश कुमार शुक्ला

बम्बन प्रसाद शुक्ला

20/20 प्रीतिम नगर, सुन्दर इलाहाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3-

CG 736047

14 OCT 2014

समाप्त हो जायेगी और द्वितीयपक्ष लीज सम्पत्ति को पूर्व की स्थिति में प्रथमपक्ष के हवाले कर देगा।

6- यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीयपक्ष के कार्य संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

7- यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी/लीज सम्पत्ति में शिकती किरायेदार आबाद नहीं करेगा।

8- यह कि द्वितीय पक्ष अपने कार्य संचालन हेतु आवश्यकता पड़ने पर निर्माण करा सकता है और सारी औपचारिकताये पूरी कर सकता है, किन्तु लीज की समाप्ति के बाद सम्पत्ति को पूर्व स्थिति में बहाल करने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

9- यह कि इस विलेख में अंकित शर्तों की पूर्ण पाबन्दी दोनों पक्षों पर बराबर लागू रहेगी।

अतः यह कि किरायेदारी अनुबन्ध पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जिसके वावत यह विलेख लिखा गया

रवि शंकर

kkk

क्रमांक २५५ तिथि २९/१/१६ मूल्य १५० प्रायोजन
 रत्नाम्न लेता का नाम शम्भू नाथ शर्मा पति श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा स्वामी शम्भू नाथ शर्मा
 निवासी १०११ कानपुर
 रत्नाम्न विक्रेता शिव मंगल अग्रहरी निवासी कोर्ट, इलाहाबाद
 ला० नं० ५०४ अवधि ३१ मार्च १ तक इच्छाक्षर


पट्टा गृहीता

Registration No. 925
 K. K. Sharma

Year: 2015

Book No.: 1

0201 शम्भू नाथ इन्स्टी० आफ ला द्वारा कौशल कुमार तिवारी
 स्व० शम्भूनाथ
 १०२जी/३ बेनीगंज सदर इला०



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4-

30AA 253517

- । किता भवन स्थित आराजी संख्या 9। रकवा 0-2300 हेवाके मौजा रहीमाबाद परगना
- । व तहसील सदर जिला इलाहाबाद जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:-
- । चौहद्दी :- पूरब अंश 110, 111, एवं 112
- । पश्चिम:- सडक पक्की
- । उत्तर:- आराजी सं० 92 व 93
- । दक्षिण:- आराजी सं० 89 व 90
- । नोट:- दिनांक 30-1-2015 से यह किरायेदारी प्रारम्भ होकर दि० 29-1-2045 ई० के लिए हो रही है। जिसपर छः साल का किराया मु० 7272/रूपया होता है जिसपर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से मु० 320/रूपया का स्टैम्प अदा किया जाता है।

होपथमक्ष

हो द्वितीय पक्ष

दिनांक 30-1-2015

गवाह:-

गवाह:- सुनील कुमार सिंह S/O अशोक कुमार सिंह 100A/4 अलाहाबाद जिला
सुनील कुमार सिंह S/O अशोक कुमार सिंह 100A/4 अलाहाबाद जिला
नया अलाहाबाद जिला

मसविदाकर्ता सुनील कुमार सिंह

टाइमकर्ता रजिस्ट्रार अलाहाबाद

एडवोकेट सिविल कोर्ट, इलाहाबाद
अहाता दीवानी कचेहरी इलाहाबाद

क्रमांक 29/1/15- 10 तिथि मूल्य प्रायोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम
निवासी
स्टाम्प विक्रेता शिव मोहन अग्रहरी सिविल कोर्ट, इलाहाबाद
ला0 नं0 508 अर्वाधे 31 मार्च 1) तक हस्ताक्षर

आज दिनांक 30/01/2015 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 3439
पृष्ठ सं. 191 से 198 पर क्रमांक 935
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर





(प्रवीन्द्र सिंह सचान)

उप विषयक

इलाहाबाद-द्वितीय

30/1/2015





सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार सदर

जनपद इलाहाबाद।

महोदय,

विग्न निवेदन है कि प्रार्थी कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भू नाथ तिवारी निवासी 102 बेनीगंज, परगना व तहसील सदर, शहर इलाहाबाद के निवासी हैं। प्रार्थी उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिवेशन, 18-ए आकलैण्ड रोड, शहर इलाहाबाद का सचिव है और मौजा रहीमाबाद, परगना व तहसील सदर, शहर इलाहाबाद स्थित आराजी नं० 91 रकबा 1.6870 हे० उपरोक्त सोसाइटी के नाम ^{(वर्ग) कर्ज है।} सोसाइटी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रार्थी को संयुक्ता प्रमाण/पत्र की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि संयुक्ता प्रमाण पत्र निगंत कराने की कृपा करें।

दिनांक:

शरणि/लोहरावा
बटु मराठ
09/04/2012
MPT(N)

प्रार्थी,
K. Kishore
Secretary
Utthan-Centre for Sustainable-
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

महोदय

आवेदन कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भू नाथ तिवारी निवासी 102 बेनीगंज परगना व तहसील सदर इलाहाबाद के निवासी हैं। उपरोक्त निवासी के निवासी के नाम आराजी नं० 91 रकबा 1.6870 हे० उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिवेशन के नाम कर्ज है। सोसाइटी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रार्थी को संयुक्ता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अर्थात् आराजी नं० 91 रकबा 1.6870 हे०

(बोमनाथ राय)
राजस्व निरीक्षक
कानपुर

09/04/12
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिवेशन

संयुक्ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाटा की खसरा सं० 91 (कुल एक गाटा) जिसका क्षेत्रफल 1.6870 हेक्टेयर है। जो न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर (वाद सं० 01 धारा 161 के अनुसार दिनांक 19.01.2011) के आदेशानुसार ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के खतौनी 1416-1421 फ० के खाता सं० 006 के गाटा सं० 91 उत्थान सेन्टर फॉर सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविएशन, 18 ए, ऑकलैण्ड रोड, इलाहाबाद के नाम दर्ज है।

7498
10/4/12
जयप्रकाश प्रसाद
जयप्रकाश प्रसाद
जयप्रकाश प्रसाद

10/4/12
(बोमनीष मुकल)
राजेश्वर निरीक्षक व
जयप्रकाश प्रसाद




सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाटा संख्या 89, 91, 93 तथा 94 जिनका क्षेत्रफल 0.4630 हे०, 1.6870 हे०, 0.399 हे० तथा 0.680 हे० है। जो ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के खतौनी 1416 - 1421 फ० के खाता संख्या 6, 7 तथा 40 के गाटा संख्या 89, 91, 93 तथा 94 उत्थान सेन्टर फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिविएशन, 18-ए, आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद के नाम दर्ज है। जिसका नजरी नक्शा दिनांक 01-05-2012 को प्रमाणित है।

मुख्य सम्पर्क मार्ग (इलाहाबाद-कौशाम्बी) जिसकी चौड़ाई 45 फिट है उपरोक्त प्लॉट से जुड़ा है।


19/5/12
19/5/12

(मोमनाष मुख्तार)
एजन्ट निरीक्षक व०
सदर, इलाहाबाद



नजरी नक्शा भौजा - रहीमवादी परगना न तहसील सदर इलाहाबाद

पुर्व



1-5/12
 लाल सिंह यादव
 नासो (दक्षिणी)
 सदर-इलाहाबाद


115/12

Urban Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

Handwritten notes at the top right corner.

पञ्जाब प्रदेश - १५०० स्थानों पर, ल०-मायल जिला - इलाहाबाद
पिन कोड - २०१०००
पञ्जाब प्रदेश - १५०० स्थानों पर, ल०-मायल जिला - इलाहाबाद



Handwritten notes and a table structure at the bottom right.

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

